

रिज़र्व बैंक ने भागीदारी को व्यापक बनाने, पहुंच को आसान बनाने, विनियामक ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करके वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने और गहरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय भी किए गए।

V.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आसान पहुंच, भागीदारी को व्यापक बनाने और ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार के लिए एक सिद्धांत-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करने के मामले में वित्तीय बाजारों को विकसित करने के अपने प्रयास को जारी रखा साथ ही एक रोडमैप के माध्यम से लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (लाइबोर) अभिशासन से एक सुरक्षित और सुदृढ़ पारगमन प्रदान किया। चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत और अपरंपरागत दोनों उपाय शामिल थे। रिज़र्व बैंक ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ, बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना जारी रखा। कोविड-19 के कारण बाहरी व्यापार और भुगतान पर होने वाले तनाव को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय भी किए गए।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में संरचित किया गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को खंड 2 में शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन की चर्चा खंड 3 में की गई है। खंड 4 में, बाहरी व्यापार और भुगतान और उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतिम प्रेक्षणों को अंतिम खंड में दिया गया है।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का कार्य सौंपा गया है। विभाग ने इस अधिदेश के अनुसरण में 2021-2022 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए।

2021-22 की कार्ययोजना

V.4 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2021-22 की दूसरी तिमाही तक भारत में गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव्स (एनसीसीडी) पर प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को लागू करने के लिए मसौदा निर्देश जारी करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V. 5];
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा 2021-22 की दूसरी तिमाही में 'विशेष रिपो' बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण और उधार प्रणाली (जीएसएलबीएम) का आरंभ (पैराग्राफ V.6); और
- इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति के अनुरूप भारत में विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता

(यूटीआई) ढांचे को लागू करके व्युत्पन्न लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) आवश्यकताओं के तहत एकत्रीकरण और पारदर्शिता को मजबूत करना (पैराग्राफ वी.7)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 महामारी के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर मार्जिन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में एक वर्ष के विस्तार का संज्ञान लेते हुए 2022-23 के दौरान एनसीसीडी के लिए अनिवार्य मार्जिन आवश्यकताओं के निर्देशों को चरणबद्ध रूप से लाया जाएगा।

V.6 जीएसएलबीएम को सक्षम करने के लिए दिशा-निर्देश चल रहे बाजार परामर्श के पूरा होने और विधायी और बाजार संबंधी बुनियादी ढांचे के कुछ पहलुओं के विकास के पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे।

V.7 विश्व स्तर पर, यूटीआई के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति कुछ विकसित हो रहे मानकों के कारण क्रमिक रही है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति का संज्ञान लेने के लिए भारत में यूटीआई के कार्यान्वयन को तदनुसार अंशांकित किया गया है।

प्रमुख पहलें

मुद्रा बाजार में आसान पहुंच और व्यापक भागीदारी

V.8 वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार विकसित करने के लिए कई उपाय किए गए जैसे कि कॉल /नोटिस/टर्म मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)। जारीकर्ताओं, निवेशकों और प्रतिभागियों के संदर्भ में इन उपकरणों में अधिक स्थिरता लाने की दृष्टि से जनता / हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद विनियमों की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट तक पहुंचने और सीडी जारी करने की अनुमति देकर प्रतिभागी आधार का विस्तार किया गया। प्रतिभागियों को मौजूदा विवेकपूर्ण विनियामक

मानदंडों के भीतर कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की छूट प्रदान की गई थी। चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए जारीकर्ताओं को परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में निवल स्वामित्व वाली निधि 225 प्रतिशत की एक अलग विवेकपूर्ण सीमा मुद्रा बाजार में स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों द्वारा उधार के लिए निर्धारित की गई थी। कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट और सीडी पर संशोधित निर्देश क्रमशः 1 अप्रैल, 2021 और 4 जून, 2021 को जारी किए गए थे।

ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी

V.9 ऋण बाजार में अनिवासी निवेश के लिए विनियामक ढांचे को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और दीर्घकालिक स्थिर ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए परिष्कृत किया गया :

- 4 जून 2021 को, अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी -1 बैंकों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को उनके क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के निपटान के लिए सीसीआईएल के पास मार्जिन रखने के लिए उधार देने की अनुमति दी गई थी। 7 जून, 2021 को, एफपीआई /अभिरक्षक बैंकों को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) को अपने सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तारित टाइम विंडो दी गई थी।
- केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसरण में, 8 नवंबर, 2021 को निर्देश जारी किए गए थे कि एफपीआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आईएनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाए।

- 1 अप्रैल, 2022 से स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ करने के निर्देश 10 फरवरी, 2022 को जारी किए गए थे।

ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न बाजार के लिए सिद्धांत-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क बनाना

V.10 वर्ष के दौरान “डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश (सीजीडी)” की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य (i) एक सिद्धांत-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करना था; (ii) सीजीडी और अन्य निर्देशों के बीच ओवरलैप को संबोधित करना; और (iii) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप डेरिवेटिव बाजारों के बढ़ते परिष्कार को पूरा करने के लिए नए प्रावधान जोड़ना। जनता/हितधारकों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, 16 सितंबर, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में बाजार निर्माता) निर्देश, 2021 जारी किए गए थे। इन निर्देशों में शासन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन और ओटीसी व्युत्पन्न व्यवसाय के लिए ग्राहक अनुकूलता और उपयुक्तता से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

V.11 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई, और संशोधित निर्देश (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) 10 फरवरी, 2022 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं जैसे विनियमित वित्तीय संस्थाओं और एफपीआई को सुरक्षा बेचने की अनुमति देते हैं। वे गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने या क्रेडिट जोखिम पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति भी देते हैं जबकि खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने की अनुमति है।

बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा में निपटान किए गए रुपया डेरिवेटिव बाजार में डील करने की अनुमति देना

V.12 देश में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और गहरा करने, तटीय और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को हटाने और

मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से, 10 फरवरी, 2022 को निर्देश जारी किए गए थे, जिससे फेमा, 1999 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी कैट-I) लाइसेंस रखने वाले बाजार निर्माताओं को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ भारत में उनकी शाखाएं, विदेशी शाखाएं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से अपतटीय विदेशी मुद्रा सेटल ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।

लाइबोर संक्रमण के लिए रोडमैप

V.13 लाइबोर प्रणाली से एक व्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत संक्रमण को सक्षम करने की दृष्टि से, बैंकों और अन्य रिजर्व बैंक-विनियमित संस्थाओं को 8 जुलाई, 2021 को सूचित किया गया था कि वे (i) नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करना बंद करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और इसके बजाय किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 2021 तक उपयोग करें; (ii) वित्तीय अनुबंधों में एआरआर के लिए फॉलबैक के प्रावधान शामिल करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और जिसकी परिपक्वता लाइबोर सेटिंग की समाप्ति के बाद आती है; (iii) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाइबोर एक्सपोजर की व्यापक समीक्षा करें और ऐसे एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक ढांचा तैयार करें; और (iv) संक्रमण के बारे में ग्राहकों को संवेदनशील बनाने के प्रयास जारी रखें। लाइबोर संक्रमण के रोडमैप से संबंधित विवरण बॉक्स V.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

2022-23 की कार्य योजना

V.14 विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- भारत में एनसीसीडी के लिए भिन्नता मार्जिन आवश्यकताओं को शुरू करने के लिए निर्देश 2022-23 की पहली छमाही में जारी किए जाएंगे (उत्कर्ष); और

बॉक्स V.1

लाइबोर संक्रमण के लिए रोडमैप

वर्ष 2022 लाइबोर के प्रकाशन की समाप्ति की शुरुआत को रेखांकित करता है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अब तक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वित्तीय बेंचमार्क रहा है। दुनिया भर में और भारत में व्यापक परामर्श और चर्चाओं ने लाइबोर के बाद की प्रणाली में यथोचित रूप से सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित किया है। सभी गैर-यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स, और 1-सप्ताह और 2-महीने के यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो गए। शेष यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स का प्रकाशन 30 जून 2023 को बंद हो जाएगा।

वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) [उदाहरण के लिए, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर) और स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (एसओएनआईए)] ओवरनाइट सिक्योर्ड/अन सिक्योर्ड दरें हैं और लाइबोर (जो पोल आधारित था) के विपरीत, वे व्यापक भागीदार आधार (बैंक और गैर- बैंक दोनों) के साथ लेनदेन किए गए सत्यापन योग्य दरों पर आधारित हैं। भविष्योन्मुख लाइबोर के विपरीत, एआरआर पीछे की ओर देखने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें दैनिक ओवरनाइट दरों को मिलाकर प्राप्त किया जाता है।

लाइबोर को संदर्भित करने वाले अनुबंध और जिनकी परिपक्वता लाइबोर की समाप्ति से आगे बढ़ती है, उन्हें फॉलबैक अपनाना होगा। विभिन्न उद्योग निकायों जैसे इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट्स एसोसिएशन (एपीएलएमए) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा फॉलबैक टेम्प्लेट प्रकाशित किए गए हैं जिसमें आमतौर पर टर्म लाइबोर और टर्म एआरआर के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रसार समायोजन शामिल किया गया है¹।

भारत में विनियामक पहल

लाइबोर बेंचमार्क के संबंध में, भारत के लिए चुनौतियां अन्य अधिकार क्षेत्रों के समान ही हैं। रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरणों ने सुचारु लाइबोर संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विनियामक कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने 8 जुलाई, 2021 को अपनी विनियमित संस्थाओं को एक परामर्श जारी किया कि (ए) वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक को अपनाना सुनिश्चित करें जो लाइबोर [मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) सहित] का संदर्भ देते हैं और जो लाइबोर की समाप्ति

के बाद परिपक्व होते हैं; (बी) यथाशीघ्र और अधिकतम 31 दिसंबर, 2021 तक नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करना बंद करें जो लाइबोर को बेंचमार्क (एमआईएफओआर समेत) के रूप में संदर्भित करते हैं और व्यापक रूप से स्वीकार्य एआरआर में लेनदेन करते हैं और (सी) लाइबोर संक्रमण के आसपास के मुद्दों पर ग्राहक संवेदीकरण सुनिश्चित करते हैं। लाइबोर संक्रमण के आसपास के जोखिमों के प्रबंधन के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2021 के बाद यूएसडी लाइबोर को संदर्भित कुछ विशिष्ट लेनदेन की अनुमति है।

एमआईएफओआर का सुधार

एमआईएफओआर, घरेलू बेंचमार्क जो यूएसडी लाइबोर को संदर्भित करता है, का वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा आईबीए की दरों और कार्यप्रणाली वर्कस्ट्रीम के परामर्श से सुधार किया गया है। समायोजित एमआईएफओआर (जिसका उपयोग एमआईएफओआर को संदर्भित करने वाले विरासत अनुबंधों के लिए कमबैक के रूप में किया जा सकता है) और संशोधित एमआईएफओआर (जिसे नए वित्तीय अनुबंधों के लिए उपयोग किया जा सकता है) का प्रकाशन शुरू हो गया है। संशोधित एमआईएफओआर को आईएसडीए परिभाषाओं में शामिल किया गया है। बाजार सहभागियों ने लेनदेन में संशोधित एमआईएफओआर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। समायोजित एमआईएफओआर को आईएसडीए आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल/पूरक में भी शामिल किया गया है।

अन्य विनियामक पहलों में निर्यात ऋण, एफसीएनआर (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण में एआरआर के उपयोग के लिए प्रावधान करने के उपाय शामिल हैं। लाइबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट और टर्म प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ईसीबी / ट्रेड क्रेडिट (टीसी) के लिए कुल लागत सीमा को 100 आधार अंकों (बीपीएस) और नए ईसीबी / टीसी के लिए 50 बीपीएस तक संशोधित किया गया है। चूंकि लाइबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक “अप्रत्याशित घटना” है, यह स्पष्ट किया गया है कि लाइबोर / लाइबोर से संबंधित बेंचमार्क से एआरआर में संदर्भ दर में परिवर्तन के कारण व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन को पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्रोत: आरबीआई

- रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) पर संशोधित निर्देश 2022-23 में जारी किए जाएंगे, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समीक्षा के पश्चात जारी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक उत्पाद नवाचार किया जा

सके, घरेलू बाजार तक अनिवासी पहुंच को आसान बनाया जा सके और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जा सके।

¹ लाइबोर के विपरीत, टर्म एआरआर में टर्म प्रीमिया और क्रेडिट प्रीमिया शामिल नहीं हैं।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.15 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) को दो प्राथमिक जिम्मेदारियां को सौंपी गई हैं: मौद्रिक नीति के रख के अनुरूप रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालन का संचालन; और तटीय और अपतटीय बाजारों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करना।

2021-22 की कार्य योजना

V.16 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति के रख के अनुरूप सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से करने के लिए (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.17];
- यूएसडी /आईएनआर विनिमय दर (पैराग्राफ V.18 - V.19) में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा परिचालन का संचालन जारी रखना; और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करना (पैराग्राफ V.20)।

कार्यान्वयन की स्थिति

चलनिधि प्रबंधन

V.17 चलनिधि प्रबंधन संचालन से संबंधित विवरण जिसमें मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार शामिल हैं, वे इस रिपोर्ट के अध्याय III में शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.18 वर्ष के दौरान, रुपये ने एक अवमूल्यन पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया, जो अमेरिकी डॉलर द्वारा व्यापक-आधारित लाभ को दर्शाता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और नए कोविड-19 वेरिएंट के प्रसार के कारण जोखिम-बंद भावनाओं के मुकाबलों ने भी रुपये पर वजन किया। हालांकि भारतीय इक्विटी

बाजारों में मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह ने वर्ष की शुरुआत में रुपये का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका में मौद्रिक स्थितियों को सख्त करने की बढ़ती संभावनाओं के जवाब में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए समग्र प्रवाह के कम होने के कारण ये प्रवाह दूसरी छमाही की ओर कम हो गए, इसके अलावा कोविड -19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी नए सिरे से अनिश्चितता बनी हुई है।

V.19 रिजर्व बैंक ऑनशोर/ऑफशोर ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) सेगमेंट में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में लगा हुआ है ताकि विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके बाजार की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखा जा सके।

अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन

V.20 ने कोविड-19 के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन जैसे कई सामयिक मुद्दों पर अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन किए; रिपो दर से भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) के प्रसार को निर्धारित करने वाले कारकों पर महामारी का प्रभाव; निश्चित मूल्य खुले बाजार के संचालन; और वित्तीय बाजारों के लिए बैरोमीटर।

2022-23 की कार्य योजना

V.21 वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई है:

- मौद्रिक नीति के रख के अनुरूप, सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए चलनिधि प्रबंधन संचालन करना आवश्यक हो सकता है (उत्कर्ष);
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा संचालन करना जारी रखना; और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करना।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.22 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ, विभाग प्रयास करता है विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करना और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को भी बढ़ावा देता है।

V.23 वर्ष के दौरान, विभाग ने मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों और उभरती व्यावसायिक प्रथाओं और मॉडलों के साथ नियामक ढांचे को संरेखित करने की चल रही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में फेमा के तहत जारी मौजूदा विनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं की समीक्षा/यौक्तिकीकरण करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। विभाग ने कोविड -19 के कारण बाहरी व्यापार और भुगतान पर होने वाले तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए और उपाय किए।

2021-22 की कार्य योजना

V.24 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- मौजूदा विनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखें , संशोधन अधिसूचनाओं के बार-बार जारी होने से बचने के लिए हार्ड-कोडिंग को हटा दें और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करें (पैराग्राफ V.25 - V.26);
- विदेशी निवेश नियमों को तर्कसंगत बनाने की कवायद को आगे बढ़ाएं (पैराग्राफ V.27);
- मौजूदा सॉफ्टवेयर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, अर्थात् बाहरी वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर

प्लेटफॉर्म (एसपीईसीटीआरए) और अधिकृत व्यक्ति (एपी) कनेक्ट (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.28];

- भारत में विदेशी निवेश पर एक संशोधित मास्टर निर्देश जारी करें क्योंकि सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली अधिसूचित की गई है (पैराग्राफ V.29); और
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री बनाएं (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.30]।

कार्यान्वयन की स्थिति

फेमा दिशानिर्देशों का यौक्तिकीकरण

V.25 वर्ष के दौरान , एक सरल और मानक मार्गदर्शन मैट्रिक्स की दृष्टि से फेमा के तहत चक्रवृद्धि राशि की गणना के लिए गणना मैट्रिक्स पर मौजूदा मार्गदर्शन नोट की समीक्षा शुरू की गई थी। कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन तरीकों को सक्षम करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है और उत्कर्ष -2022 के अनुरूप है, जो अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान को व्यापक बनाने पर जोर देता है।

V.26 भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) सहित विदेशी क्षेत्राधिकार में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत है, इन एआईएफ में प्रायोजक योगदान की स्थिति ओडीआई दिशानिर्देशों के तहत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं था। इस संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, भारत में आईएफएससी सहित विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित एआईएफ को भारतीय प्रायोजक से वित्तीय योगदान को अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में माना जाता है।

विदेशी निवेश विनियमों का यौक्तिकीकरण

V.27 वर्ष के दौरान विदेशी निवेश विनियमों की समीक्षा की गई। मसौदा नियमों/विनियमों को जनता की टिप्पणियों के लिए

रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। प्राप्त फीडबैक/सुझावों के आधार पर संशोधित प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है।

मौजूदा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जैसे, एसपीईसीटीआरए और एपी कनेक्ट

V.28 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार क्रेडिट के पूर्ण जीवनचक्र को स्वचालित करने के अपने प्रयास में, विभाग एसपीईसीटीआरए परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। स्पेक्ट्रा ईसीबी / व्यापार क्रेडिट के जीवनचक्र को शामिल करेगा, आवेदन की प्राप्ति से अनुमोदन चरण तक या तो अधिकृत डीलर (एडी) बैंक या रिजर्व बैंक के स्तर पर, साथ ही लेनदेन की रिपोर्टिंग। इसमें ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट से संबंधित सभी नीतिगत प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर का विकास पूरा हो गया है और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) ² पूरा होने के करीब है। इसके अलावा, पूर्ण धन परिवर्तकों (एफएफएमसी)/उन्नत एफएफएमसी के लाइसेंसिंग, नवीकरण, रिपोर्टिंग, निरस्तीकरण और निरीक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर परियोजना, एपी कनेक्ट को विकसित किया गया है और यूएटी पूरा कर लिया गया है।

भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश

V.29 भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (एनडीआई नियमावली) के मद्देनजर भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया है।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का निर्माण

V.30 फेमा, 1999 के संबंध में जनता और हितधारकों को परिचित कराने की दृष्टि से, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और

सम्मेलनों के संचालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को एक परिपत्र जारी किया गया है।

प्रमुख पहल

बाहरी उधार के लिए बेंचमार्क दर को फिर से परिभाषित करना

V.31 बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर के आसन्न बंद होने के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार (एफसीवाई ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) के मामले में बेंचमार्क दर को फिर से परिभाषित किया गया है। बेंचमार्क दर अब किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत इंटरबैंक दर या 6-महीने की वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को संदर्भित करती है, जो उधार की मुद्रा पर लागू होती है (बॉक्स V.1 भी देखें)। इसके अलावा, एडी श्रेणी-I बैंकों को आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में लाइबोर के स्थान पर मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत/एआरआर का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)

V.32 सीमा पार वित्तीय लेन-देन करने वाले पक्षों की पहचान में आसानी के लिए, एडी श्रेणी-I बैंकों को 1 अक्टूबर, 2022 से फेमा, 1999 के तहत 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक (प्रति लेनदेन) की पूंजी या चालू खाते के लेनदेन के संबंध में निवासी संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) से कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) नंबर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे संबंधित संस्थाओं को 1 अक्टूबर, 2022 से पहले ही लेन-देन करते समय स्वैच्छिक रूप से एलईआई प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, व्यवधानों से बचने के लिए बैंकों को अनिवासी समकक्षों/विदेशी संस्थाओं के संबंध में एलईआई सूचना की अनुपलब्धता के मामले में भी सीमा पार वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया गया है। एलईआई, एक बार एक इकाई द्वारा प्राप्त होने के बाद, उस इकाई के सभी लेनदेन में रिपोर्ट करने की

² उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण एक सॉफ्टवेयर परियोजना के विकास के पूरा होने के बाद का एक चरण है। अंतिम उपयोगकर्ता कार्यशीलता के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का परीक्षण करते हैं और दोषों को चिह्नित कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटकों में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं।

आवश्यकता होती है, चाहे लेनदेन का आकार कुछ भी क्यों न हो।

कोविड -19 संबंधित तनाव को कम करने के उपाय

V.33 उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी- I बैंकों के साथ सावधि जमा में अप्रयुक्त ईसीबी आय को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए पार्क करने की अनुमति है। उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, 7 अप्रैल, 2021 को एकमुश्त छूट प्रदान की गई थी, जिसमें 1 मार्च, 2020 को या उससे पहले आहरित अप्रयुक्त ईसीबी आय को भारत में एडी श्रेणी- I बैंकों के साथ सावधि जमा में संभावित रूप से 1 मार्च, 2022 तक जमा करने की अनुमति दी गई थी।

अधिकृत व्यक्ति और प्रेषण

V.34 रिजर्व बैंक ने जनहित में और केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय लिया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के साथ-साथ भारतीय मूल के पासपोर्ट धारकों के पास विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड के साथ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा करते समय भारत से जाते समय और भारत में लौटते समय केवल भारतीय मुद्रा नोट और/या विदेशी मुद्रा में यूएसडी, जिसका कुल मूल्य ₹11,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए, लाने की अनुमति होगी।

2022-23 की कार्य योजना

V.35 2022-23 के लिए विभाग की रणनीति उपरोक्त सभी पहलों को समेकित और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा कि फेमा परिचालन ढांचा विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक वातावरण की जरूरतों के अनुरूप है। तदनुसार, विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कार्य योजना तैयार की है:

- समान विषयों के मौजूदा विनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखें, संशोधन अधिसूचनाओं को बार-बार जारी करने से

बचने के लिए हार्ड-कोडिंग को हटा दें और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करें;

- फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए संशोधित गणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन (उत्कर्ष);
- योजना में विभिन्न मुद्दों और विसंगतियों को दूर करने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा;
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नियामक अनुपालन के लिए विभिन्न रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया के स्वचालन के साथ जारी रखना;
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री का निर्माण (उत्कर्ष); और
- नीतिगत परिवर्तनों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को और अधिक अधिकार सौंपना जारी रखना।

5. निष्कर्ष

V.36 संक्षेप में, रिजर्व बैंक ने आर्थिक सुधार में सहायता के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने के लिए कई परंपरागत और अपरंपरागत उपायों को नियोजित किया जो कि महामारी की लगातार लहरों से बाधित था। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए चलनिधि को लक्षित करने और अधिशेष चलनिधि के पुनर्संतुलन के अलावा, रिजर्व बैंक ने द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की पूर्व-घोषित मात्रा की प्रतिबद्ध खरीद के माध्यम से प्रतिफल वक्र का स्थिर और व्यवस्थित विकास भी सुनिश्चित किया। रिजर्व बैंक के आगे के मार्गदर्शन और आरामदायक विदेशी मुद्रा आरक्षित कवर के साथ चलनिधि उपायों ने वित्तीय बाजारों में स्थिरता पैदा की। साथ ही, रिजर्व बैंक ने लाइबोर ट्रांज़िशन जैसी बाजार प्रथाओं में वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाजार विकास

एजेंडा को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार सुधारों को आगे बढ़ाने, मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजार को कवर करने, डेरिवेटिव और बॉन्ड बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। यह विदेशी मुद्रा नियमों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और

बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की भी योजना बना रहा है। वित्तीय बाजार के संचालन को मौद्रिक नीति के रुख के साथ संरेखित करना जारी रहेगा, जबकि विदेशी मुद्रा संचालन रुपये की विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकना जारी रखेगा।